सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

मा‍ननीय प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनाँक 18 जनवरी, 2021 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनाँक 18 जनवरी, 2021 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 के0के0 सिंह, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
4.	डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक।	सदस्य
5.	श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
6.	श्री अमन दयाल, कृषि उद्योगपति	सदस्य
7.	श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
8.	श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक, कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ। (प्रमुख सचिव कृषि, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	डा0 शैलेन्द्र कुमार, उप–निदेशक, कृषि रक्षा, मेरठ मण्डल, मेरठ। (निदेशक कृषि, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ। (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
12.	डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ। (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
13.	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागत उपरांत श्री ओमप्रकाश शर्मा, पूर्व मा0 सदस्य, विधान परिषद के आकस्मिक निधन होने के कारण मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा दो मिनट का मौन–धारण किया गया, जिसके उपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव संख्या 44.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनाँक 17 सितम्बर, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा पूर्व बैठक में उनके द्वारा विश्वविद्यालय में आय–व्ययक के ब्यौरे उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मा0 प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 में उनके वक्तव्य को सम्मिलित नही किया गया। इस पर वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में मा0 सदस्यों द्वारा उठाये जाने वाले वक्तव्यों को बैठक के कार्यवृत्त में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा। श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा श्री जितेन्द्र पाल सिंह, मा0 विधायक एवं डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायिका का कार्यकाल अगस्त–2020 में समाप्त हो जाने के उपरांत भी मा0 प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 में एवं दिनांक 13.12.2020 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में आगमन कार्यक्रम में आमंत्रित किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गयी। इस पर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 13.12.2020 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में आगमन कार्यक्रम हेतु श्री जितेन्द्र पाल सिंह, मा0 विधायक एवं डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायिका को सामान्य तौर पर मा0 विधायकगण के आधार पर आमंत्रित किया गया था, तथा मा0 प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में कहा गया कि भविष्य में इस पर ध्यान रखा जायेगा।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डॉ० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव संख्या 44.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनाँक 17 सितम्बर, 2020 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 के बिन्दु संख्या–44.7 पर इंगित पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग में स्वयं वित्त पोषित (Self Finance) के अन्तर्गत नियुक्त कुल 08 शिक्षकों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना को लागू करने से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही हेतु कुलसचिव कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा पत्र के माध्यम से प्रकरण पर वित्त नियन्त्रक के माध्यम से कार्यवाही हेतु इंगित किया गया। अतः पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग में स्वयं वित्त पोषित (Self Finance) के अन्तर्गत नियुक्त कुल 08 शिक्षकों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना को लागू करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर वित्त नियन्त्रक द्वारा उ0प्र0 शासन को पत्र भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं प्रकरण पर कृत कार्यवाही से मा0 सदस्यों को आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

प्रस्ताव संख्या 44.3 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मुख्य द्वारा पर स्थापित 132 के0वी0 मोदीपुरम–कंकरखेड़ा पारेषण लाइन के टॉवर संख्या–03 की ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समीप स्थापित 132 के0वी0 मोदीपुरम–कंकरखेडा पारेषण लाइन के टॉवर संख्या–03 का डिस्मेन्टल कर उसी स्थान पर समान क्षेत्रफल में ही अधिक ऊँचाई का एक नया टॉवर को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः प्रभारी अधिकारी, विद्युत)

प्रस्ताव संख्या–44.4: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व मद के वेतन मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ क पत्र संख्या 2/2021/2290/67 –कृशिअ–20–1500(5)/19 टी0सी0 दिनांक 08 जनवरी, 2021 के माध्यम से कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व मद के वेतन मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिससे कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों को माह जनवरी–फरवरी, 2021 के वेतन का भुगतान किया जा सके। उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त पत्रांक के बिन्दु संख्या–1 पर प्रश्नगत धनराशि के व्यय की पूर्वानुमति विश्वविद्यालय की

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

मा0 प्रबन्ध परिषद से लिए जाने के सम्बन्ध में इंगित किया गया है, जिसकी मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 44.5– विद्वत परिषद की 77वीं बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 77वीं बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2021 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय विद्वत परिषद की 76वीं बैठक की कार्यवाही एवं पुष्टिकरण के बिन्दु संख्या–01–स्टाफ वेलफेयर फण्ड की स्थापना पर लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी कार्मिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रू0 50000/– की धनराशि के प्राविधान को तत्काल अथवा अधिकतम 01 माह के अन्तर्गत मदद प्रदान करनी चाहिए।

विद्वत परिषद की 77वीं बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2021 में संकल्प संख्या–6 से 9 तक पर प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमशः

i. Agenda for MOU between Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculuture & Technology, Meerut and Ayurvet Research Foundation on Cooperation in the field of Animal Research.

ii. Agenda for MOU between Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculuture & Technology, Meerut and ICAR-Central Institute for Research on cattle (CIRC),

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डॉ० आर० के० मित्तल
कुलपति

iii. Agenda for MOU between Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculuture & Technology, Meerut and NDRI, Karnal and

iv. Agenda for MOU between Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculuture & Technology, Meerut and ICAR-Indian Veterinary Research Institute (IVRI), Izatnagar, Bareilly के संदर्भ में मा0 कुलपति जी एवं अधिष्ठाता, पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग महाविद्यालय तथा अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय द्वारा विस्तृत से मा0 सदस्यों को विस्तृत रूप में अवगत कराया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 44.6— **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिए अधिवक्ताओं का पैनल एवं देय धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अध्यक्ष, विधिक समिति प्रस्तुत प्रस्तावानुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद /लखनऊ, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, मा0 उच्च न्यायालय नई दिल्ली के लिये अधिवक्ताओं का पैनल एवं देय धनराशि के सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 12.03.2020 द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 42.11 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद /लखनऊ, माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के लिये अधिवक्ताओं का पैनल एवं देय धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्तुत

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

डॉ० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा निम्नवत अनुमोदन किया जाता है:—

1. माननीय उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ताओं के फीस का निर्धारण राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या 4966/20 —जी0एस0(68)2018—I दिनांक 19.07.2019 के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	मद	देय धनराशि (रूपयें में)	टिप्पणी
01	कांउसिंल फीस	30,000/— प्रति वाद	कांउसलिग फीस की धनराशि रूपयें 20,000/— अग्रिम तथा शेष धनराशि रू0 10,000/— प्रतिवाद , वाद के निस्तारित होने पर देय होगी ।
02	एस0 एल0पी0 तैयार करने हेतु	अग्रिम धनराशि रू0 15,000/— प्रति वाद	
03	लिपिकीय कार्य	अग्रिम धनराशि रू0 2,000/— प्रति वाद	
04	अन्य लिपिकीय व्यय के रूप में	अग्रिम धनराशि रू0 3,300/— प्रति वाद	

योग्यता:— माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 10 वर्ष का कार्य अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल0एल0बी0 की डिग्री, शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं के विधिक वाद से सम्बन्धित कार्यो का अनुभव।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में वादों की पैरवी हेतु प्रस्तावित पैनल:—

1. श्री निखिल जैन,
2. श्री संदीप सिंह
3. श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा

2. माननीय उच्च न्यायलय / स्टेट ट्रीबनल / श्रम न्यायालय, कानपुर , लखनऊ, इलाहाबाद एवं नई दिल्ली

क्र0 सं0	मद	देय धनराशि (रूपयें में)	टिप्पणी
01	कांउसिंल फीस	20,000/— प्रति वाद	कांउसलिग फीस की धनराशि रूपयें 16,000/— अग्रिम तथा शेष धनराशि रू0 4,000/—
03	लिपिकीय कार्य	अग्रिम धनराशि रू0 2,000/— प्रति वाद	

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

डा0 आर0 के0 मित्तल

04	अन्य लिपिकीय व्यय के रूप में	अग्रिम धनराशि रू0 3,300/– प्रति वाद	प्रतिवाद , वाद के निस्तारित होने पर देय होगी ।

योग्यता – सर्विस मैटर, दिवानी, श्रम से सम्बन्धित कार्य अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल0एल0बी0 की डिग्री, माननीय उच्च न्यालय मे विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं के विधिक वाद से सम्बन्धित कार्यो का 10 वर्ष का अनुभव ।

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में वादों की पैरवी हेतु पैनलः–

- श्री निखिल कुमार त्यागी

माननीय उच्च न्यायालय इलहाबाद में वादों की पैरवी हेतु पैनलः–

- श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, (माननीय उच्च न्यायालय से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित वादों की रिट प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है)
- श्री पी0 के0 गांगुली
- श्री प्रभाकर द्विवेदी

माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में वादों की पैरवी हेतु पैनलः–

- श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, (माननीय उच्च न्यायालय से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित वादों की रिट प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाना।
- श्री शिवम शर्मा

3. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कैवियएट दाखिल करने पर रू0 3000/– प्रति कैवियएट।
4. विधिक परामर्श हेतु रू0 2500/– प्रति विधिक परामर्श।

(कार्यवाहीः अध्यक्ष, विधिक समिति/कुलसचिव, कार्मिक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं **प्रौद्योगिक**
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डॉ० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव संख्याः 44.7 कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों (एस0एम0एस0) को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों (एस0एम0एस0) को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 2026/67–कृशिअ–20–1500(16)/09 टी0सी0 दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के माध्यम से प्रदेश के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों एवं शुआट्स संस्थान को उपर्युक्त विषय वस्तु विशेषज्ञों (एस0एम0एस0) को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या A.Extn. 4/17/2019-AE-III दिनांक 24.02.2020 के अर्न्तगत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

साथ ही साथ शासन के उपर्युक्त पत्र में संदर्भित विषय वस्तु विशेषज्ञों (एस0एम0एस0) को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम प्रदान किये जाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में भी इंगित किया गया है।

अतः कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों (एस0एम0एस0) को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गये उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव, कार्मिक/निदेशक प्रसार/ वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डॉ० आर० के० मित्तल
कुलपति

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:–

1. डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा सुझाव दिया गया कि मुजफ्फरनगर में स्थित राजकीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र को विश्वविद्यालय के अधीन किए जाने हेतु प्रयास किया जाये, जिससे कि कृषि विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाया जा सके। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विश्वविद्यालय के एक्ट के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था इंगित नही है, एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विश्वविद्यालय के एक्ट से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता स्वयं उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें इसके संदर्भ में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगरकेन की पैदावार के दृष्टिगत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अधीन College of Sugarcane की स्थापना के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित पर शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।
3. श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष–2011 में विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में मुददा उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष–2011 के बाद वहीं पद विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष–2016 में विज्ञापित कराये गये एवं बार–बार विज्ञापित हो रहे पदों पर बार–बार फीस ली गयी। साथ

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डा० आर० के० मित्तल

उपर्युक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी आवेदकों को जानकारी उपलब्ध नही करायी गयी। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी एवं बैठक में आमंत्रित किए गये कुलसचिव द्वारा प्रकरण पर समुचित कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया तथा इसके संदर्भ में मा0 सदस्यों को भी अवगत कराने के सम्बन्ध में कहा गया।

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद से श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री एवं श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक की कार्यावधि समाप्त होने के दृष्टिगत मा0 कुलपति जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा मा0 सदस्यों का शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(लक्ष्मी मिश्रा)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

01.02.2021

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

डा0 आर0 के0 मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ